राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–731/2023

डॉ. निखिल शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.02.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. यह अपील डॉ निखिल शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौरू, ब्लॉक उनियारा, जिला टोंक की ओर से खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनियारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2023 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी है। आदेश दिनांक 04.01.2023 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टोंक ने डॉ. निखिल शर्मा अपीलार्थी को उसके खिलाफ कमल कुमार नागर, फार्मासिस्ट के द्वारा की गयी शिकायत की जांच पूर्ण होने तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके पश्चात डॉ. निखिल शर्मा अपीलार्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक ने आदेश दिनांक 10.01.2023 के द्वारा अग्रिम आदेशों तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवली गांव में लगाया था।
2. आज अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने अपील वापस लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि गलती के कारण यह अपील प्रस्तुत हो गई है, जिसे वह वापस लेना चाहते है।
3. उल्लेखनीय है कि पूर्व में अपीलार्थी डॉ. निखिल शर्मा ने एक अन्य अपील संख्या 250/2023 दिनांक 16.01.2023 को इस अधिकरण के समक्ष उक्त दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की थी, जिसमें अपीलार्थी की ओर से अन्य अधिवक्ता ने उपस्थित होकर पैरवी की थी। उक्त अपील में

सुनवाई दिनांक 23.01.2023 को की गयी और आदेश सुरक्षित रखा गया था।

4. उक्त अपील संख्या 250/2023 में अंतिम निर्णय होने से पूर्व ही उन्हीं दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए यह नई अपील संख्या 731/2023 दिनांक 27.01.2023 को अपीलार्थी की ओर से अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या 250/2023 में अधिकरण द्वारा दिनांक 02.02.2023 को निर्णय पारित कर अपील खारिज की जा चुकी है। यह दूसरी अपील इस अधिकरण के समक्ष आज सुनवाई के लिये सूचीबद्ध है, जिसमें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने अपील को विड्रो करने की प्रार्थना की है। इस अपील के अपीलार्थी डॉ. निखिल शर्मा द्वारा अपील संख्या 250/2023 प्रस्तुत करने के पश्चात अपील पर दिनांक 23.01.2023 को सुनवाई हो चुकी थी, जिसमें कोई स्थगन आदेश पारित नहीं हुआ था।
5. दुबारा उन्हीं तथ्यों और उन्हीं आदेशों को चुनौती देते हुए यह दूसरी अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है, जबकि पूर्व अपील लम्बित थी और उसमें आदेश सुरक्षित रखा गया था। स्पष्ट रूप से अपीलार्थी ने जानबूझ कर अधिकरण को गुमराह करने की दृष्टि से यह नई अपील प्रस्तुत की, ताकि दूसरी अपील प्रस्तुत कर उसमें स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिये प्रार्थना की जा सके।
6. अपीलार्थी डॉ. निखिल शर्मा द्वारा दूसरी अपील प्रस्तुत करना कतई भूलवश नहीं माना जा सकता, बल्कि दूसरी अपील अधिकरण को गुमराह करने व अनुचित प्रकार से लाभ प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत की गयी है, जो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग है। ऐसे में अपीलार्थी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किया जाना व उस पर हर्जाना अधिरोपित किया जाना उचित प्रकट होता है। अतः यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर प्रथम में आज से सात दिवस में एक लाख रूपये हर्जाना स्वरूप जमा कराकर रसीद इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
7. पत्रावली समक्ष अधिकरण दिनांक 10.02.2023 को प्रस्तुत हो।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R